संख्या-513/2024/1523/24-27-सिं0-4/002-58(डब्ल्यू)/2008टी0सी0

प्रेषक,

अमित प्रणव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4 **लखनऊ: दिनांक: 22 अगस्त, 2024**

विषय: वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) पूंजीलेखा के अन्तर्गत सर्वेक्षण मद में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर प्रमुख अभियन्ता, आय-व्ययक अनुभाग, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-1881/आई0बी0/सर्वे0/2024-25, दिनांक 19.07.2024 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुदान संख्या-94 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक **4701-80-005-10-1014-42** के अन्तर्गत सर्वेक्षण एवं अनुसंधान मद में प्राविधानित धनराशि रू0 3300.00 लाख के सापेक्ष रू0 996.959 लाख (रूपये नौ करोड़ छियानवे लाख पनचान्वे हजार नौ सौ मात्र) की धनराशि निम्न तालिका के स्तम्भ-4 के अनुसार अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि लाख रू0 में)

(धनराशि लाख रू0 में)

क्रमांक	संगठन का नाम	कराये जाने वाले मुख्य-मुख्य कार्यो का विवरण/सार	मांग	प्रस्तावित धनराशि
1	2	3	5	4
1.	**जल संसाधन लखनऊ**	सर्वेक्षण कार्य हेतु	101.00	45.00
		सर्वेक्षण कार्य हेतु	111.34	50.00
		सर्वेक्षण कार्य हेतु	148.55	70.00
		सर्वेक्षण कार्य हेतु	126.53	60.00
		सर्वेक्षण कार्य हेतु	112.69	50.00
		सर्वेक्षण कार्य हेतु	105.00	50.00
		सर्वेक्षण कार्य हेतु	169.42	75.00
2.	**अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी,केन-बेतवा लिंक नहर (निर्माण) झांसी**	सर्वेक्षण कार्य हेतु	50.00	50.00
		सर्वेक्षण कार्य हेतु	15.00	15.00
3.	**परियोजना बेतवा,झांसी**	बांध एक्सिस का जियोलाजिकल सर्वेक्षण/ हाईड्रोलाजी (जल उपलब्धता व स्पिलवे का डिजाइन डिस्चार्ज)/नदी का एल-सेक्सन व क्रास-सेक्सन तथा बांध के डूबे क्षेत्र व नहर के कमाण्ड क्षेत्र का टोपोग्राफिकल मैपिंग/बांध के डूबे क्षेत्र व नहर के कमाण्ड क्षेत्र की चादर शीट तैयार करना/डेम एक्सिस पर कोर-ड्रिलिंग,पिट्स,स्वाइल सर्वेक्षण/बांध के अर्थवर्क/स्पिलवे तथा नहर के पक्के कार्य की डिजाईन एवंड्रांइग Autocad प्रिंटिंग इत्यादि।	70.00	70.00
		Design discharge estimation (For 50 year return	4.24800	4.24800

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

		period) of Dashrath Nala for Gunta Aquaduct Project		
		Soil Test estimation of Dashrath Nala at Km 15.795 for Gunta Aquaduct Project	1.71100	1.71100
		सर्वेक्षण कार्य हेतु	57.50	25.00
		एरच बहुउददेशीय बांध परियोजना के हाइड्रोलाजी Design Flood Review ¼DFR½ एवं Drone सर्वे का कार्य	30.00	30.00
4.	**बेतवा, झांसी**	सर्वेक्षण मद के अन्तर्गत हमीरपुर शाखा,जालौन रजवाहाआटा रजवाहा एवं कुकरगांव रजवाहा के सर्वेक्षण का कार्य उपरोक्त धनराशि से कराया जायेगा।	50.00	25.00
		सर्वेक्षण कार्य हेतु	5.00	3.00
		सर्वेक्षण कार्य हेतु	5.00	3.00
		सर्वेक्षण कार्य हेतु	60.00	30.00
			40.00	20.00
5.	**यमुना, ओखला**	सर्वेक्षण मद के अन्तर्गत हिण्डन-कृष्णी एक्वाडक्ट का सर्वेक्षण कार्य	10.00	10.00
6.	**गंगा, मेरठ**	सर्वेक्षण कार्य हेतु	150.00	75.00
		सर्वेक्षण कार्य हेतु	173.25	75.00
		सिंचाई खण्ड हाथरास की नहरो के सर्वेक्षण का कार्य	20.00	15.00
		अनूपशहर शाखा के कि0मी0 0.00 से कि0मी0 131.940 तक आन्तरिक अनुभाग की पुर्नस्थापना की परियोजना के गठन हेतु विस्तृत सवेक्षण का कार्य/खण्ड में स्थित विभिन्न ड्रेनों एवं राजवाहो के आन्तरिक अनुभाग की पुर्नस्थापना की परियोजना और उन पर स्थित विभिन्न पक्की क्षतिग्रस्त संरचानाओ के सर्वेक्षण/डिजाईन हेतु।	123.76	50.00
7.	**पूर्वी गंगा,मुरादाबाद**	सर्वेक्षण कार्य हेतु	5.00	5.00
		सर्वेक्षण कार्य हेतु	5.00	5.00
8.	**मध्यगंगा,अलीगढ़**	मध्यगंगा नहर परियोजना प्रथम चरण मके अन्तर्गत निर्मित नहरों के सर्वेक्षण एवं अनुसंधान कार्य हेतु।	67.00	35.00
9.	**शारदा सहायक,लखनऊ**	घाघरा पम्प कैनाल के हेड पर प्रोटेक्शन कार्य किमी0 0.000 से किमी0 0.450 तक साइड स्लोप पिचिंग एवं टेल पर फैजाबाद शाखा में मार्जिग एलाइनमेन्ट कार्य की परियोजना की माडल स्टडी हेतु सर्वेक्षण मद के अन्तर्गत धन की मांग।	25.00	20.00
10.	**नलकूप मध्य अनुभाग**	विधान सभा 182 सरेनी अन्तर्गत रायबरेली के ग्राम-सिधौरतारा एवं रालपुर के मध्य गंगा जी मेंएक अदद नवीन लघुडाल नहर स्थापित किये जाने की साध्यता हेतु व्यापक एवं विस्तृत सर्वे हेतु	16.05	10.00
11.	**नलकूप दक्षिण,कानपुर**	खण्ड द्वारा नवीन पम्प नहर, राजकीय कालोनी के पुनरोद्धार एवं विभिन्न पम्प नहरों पर एल सेक्शन एवं क्रास सेक्शन के सर्वेक्षण हेतु	30.00	20.00
		कुल योग	**1858.05**	**996.959**

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

(1) सर्वेक्षण एवं अनुसंधान कार्य हेतु उक्त संगठनों को अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष कराये जाने वाले कार्यों का भुगतान तथा व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। बजट मैनुअल के प्राविधानों के अनुसार व्यय का प्रमाण-पत्र शासन को समयान्तर्गत अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा। अवमुक्त की गयी धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित बी0एम0-8 प्रपत्र मुख्य अभियन्ता (जल संसाधन) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा संकलित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

कर उपलब्ध कराते हुए कार्य पूर्ण होने पर कार्य के सम्परीक्षित लेखे व प्रश्नगत स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र मुख्यालय को प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत/अनुमोदित प्रयोजन पर ही करने का दायित्व कार्यकारी खण्ड के सम्बन्धित अभियन्ताओं एवं सम्बन्धित पर्यवेक्षकीय अभियन्ताओं का होगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये **9,96,95,900 (** रुपये नौ करोड़ छियानबे लाख पंचानबे हजार नौ सौ मात्र **)** को चालू वित्तीय वर्ष **2024-25** के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या **094** लेखा शीर्षक **4701800051014** सम्बद्ध कार्य मानक मद **42** अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - **1** के कार्यालय ज्ञाप संख्या - **1/2024/**बी-**1-294/**दस-**2024-231/2024,** दिनाँक- **04-**मार्च**, 2024** में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
अमित प्रणव
संयुक्त सचिव ।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- प्रमुख अभियन्ता (परियोजना), सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।
5- मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।
6- मुख्य अभियन्ता (जल संसाधन/अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी/केन बेतवा लिंक नहर निर्माण/परियोजना बेतवा/बेतवा/ यमुना/गंगा/पूर्वी गंगा/मध्य गंगा/शारदा सहायक/नलकूप-मध्य अनुभाग/नलकूप-दक्षिण)लखनऊ/झांसी/ओखला/मेरठ/ मुरादाबाद/ अलीगढ़/कानपुर।
7- वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।
8- वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ/झांसी/ओखला/मेरठ/ मुरादाबाद/ अलीगढ़/कानपुर।
9- अनु सचिव (लेखा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0।
10- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-8
11- नियोजन अनुभाग-3
12- सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9
13- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
वी0 एन0 तिवारी
उप सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in